



प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2026

विषय:-एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०), 2026 के संचालन की समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-56/2026/305/आठ-1-26-1853504, दिनांक 20 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष बकाये की वसूली हेतु एक अवसर प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) 2026 लागू की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20.03.2026 के प्रस्तर-1(ड.)(1) में यह प्राविधान है कि आवंटियों द्वारा आवेदन ऑफलाईन/ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ०टी०एस० योजना का आवास बन्धु की वेबसाइट (www.awasbandhu.in) के होम पेज पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा, जो दिनांक 18.04.2026 से क्रियाशील होगा। उक्त शासनादेश दिनांक 20.03.2026 के प्रस्तर-1(घ)(2) में यह प्राविधान है कि ओ०टी०एस० हेतु आवेदन पत्र देने के लिए 03 माह की

अवधि निर्धारित की जाती है, इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत प्रकरण में विकास प्राधिकरणों द्वारा किये गये समयवृद्धि के अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त ओ0टी0एस0 योजना, 2026 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को दिनांक 15.12.2026 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर-3 में लिये गये निर्णय से अवगत होते हुए तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(पी0 गुरुप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:155/2026/1157(1)/आठ-1-26, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिरीक्षक, निबंधन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु आवास बन्धु की वेबसाईट (www.awasbandhu.in) के होम पेज पर लिंक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव।